श्री लालू प्रसाद : यह क्यों आपने ऐसा काम किया ?

श्री सभापति : आप एक काम करिए। ....(**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसाद : हमें यह नहीं चाहिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का अतिक्रमण किया गया है। आप बोलिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, इस देश में यह क्या हो रहा है। आप इसको देख लीजिए। ....(**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप एक काम करिए, एक तो लैटर ....(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु : महोदय ....(**व्यवधान**).... अमेंडमेंट के जरिए डीसैन्ट्रलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं और उसके बावजूद जो पंचायतें काम कर रही हैं उसमें आप ऊपर से दखल दे रहे हैं। वह तो इसके अन्दर विरोधाभास है। इसको मंत्री जी एक्सप्लेन करें। ....(**व्यवधान**)

श्री सभापति : अब आप एक काम करिए। ....(**व्यवधान**) सारी इस तरह की पत्रावली, जो भी आपके पास है, वह मेरे पास भेज दीजिए। मैं सब मैंबर्स को बुला कर बात करूंगा। चलिए नैक्स्ट।

Assistance to SSI Units by PFC

*647. SHRI BHAGAT RAM MANHAR : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Power Finance Corporation (PFC) are delaying in providing financial loan assistance to SSI Units;

(b) if so, how many cases received from SSI Units for loan assistance are pending with PFC for disbursement of loan for more than six months, company/unit-wise where loan assistance asked for is below Rs. Five Crores; and

(c) the reasons for delay in providing loan assistance especially when power reforms in the country are in full-swing ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) No application for loan assistance below Rs. 5 crores is pending with PFC for more than six months, for disbursement.

(c) In view of the reply in (b), question does not arise.

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एसएसआई यूनिट्स के लिए 2002-2003 में ऋण सहायता उपलब्धता का क्या लक्ष्य रखा गया है,

कितने एसएसआई यूनिट्स पंजीकृत हैं ? 31 मार्च, 2003 तक कितना पैसा ऋण सहायता के रूप में वितरित किया गया है और कितने एसएसआई यूनिट्स इससे लाभान्वित हुए हैं ? नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पॉवर फाइनांस कार्पोरेशन ने ऊर्जा गतिविधियों के लिए कितना खर्च किया है, राज्यवार विवरण क्या है ?

श्री सभापति : जितने आप क्वश्चन पूछ रहें हैं उतने जवाब ही नहीं दे पायेंगे।

श्री भगत राम मनहर : क्या लक्ष्य रखा गया है ?

श्री सभापति : आपने क्वश्चन पूछने के लिए तो पूछ लिए, लेकिन इतने पूछे हैं कि जवाब नहीं दे पायेंगे। कोई एक जो जिसका आप जवाब दे सकें, वह दे दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, पी०एफ०सी० द्वारा जो ऋण दिया जाता है, वह ऊर्जा निर्माण के जो प्रोजैक्ट हैं या उससे जो संबंधित प्रोजैक्ट हैं, उनको दिया जाता है । इसलिए पी०एफ०सी० द्वारा किसी एस०एस०आई० इंडस्ट्रीज को ऋण देने का कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता। जिन एसएसआई इंडस्ट्रीज को इसके तहत ऋण देने के लिए पीएफसी ने ऋण दिया है.....। वे सारे पावर से रिलेटेड एस०एस०आई० इंडस्ट्रीज, जो हम सुधार कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, उसे सफल बनाने के लिए राज्य सरकारें, राज्य विद्युत बोर्डों के जरिए जो मांग आई थी और जिन राज्य विद्युत बोर्डों ने कांट्रेक्ट दिया हुआ है—जैसे कि नए मीटर्स लगाने हैं, तो इस प्रकार के जो लिमिटेड एस०एस०आई० इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने राज्यों के साथ कांट्रेक्ट साइन किया है, उन को ही पी०एफ०सी० द्वारा ऋण देने के लिए प्रयत्न हो रहा है।

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, देश में ऊर्जा क्षेत्र में विकास व सुधार के लिए दो दिन पहले संसद ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पास किया है। बिजली के क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण, कम्पोनेंट्स और पार्ट्स बनाने में अनेक छोटे उद्योग कार्यरत हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें पी०एफ०सी० ऋण सहायता से क्यों वंचित रखा गया है ? दूसरे, 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें निश्चित समय सीमा के अंदर निपटाने के लिए क्या मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, पी०एफ०सी० में जो दो एस०एस०आई० यूनिट्स हैं—आई०एम०पी० पावर लिमिटेड और एक्युरेट ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, इन दोनों को ऋण दिया है और इसका डिस्बर्समेंट भी हो चुका है। सभापति महोदय, और तीन कंपनीज—कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड, कैपिटल मीटर्स लिमिटेड और डायमंड केबल्स लिमिटेड हैं जिन के प्रपोजल्स पी०एफ०सी० के पास विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त 6 महीने से प्रलम्बित पी०एफ०सी० के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।